कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

क्रमांक/निर्वाचन/2018/ 4693 अलीराजपुर दिनांक 25.11.2018

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विधान सभा निर्वाचन-2018 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा चुकी है । अलीराजपुर जिले की 02 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 28.11.2018 को विधान सभा चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया सम्पादित कराई जाना है । निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट को प्रतिबंधित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । मुझे प्राप्त जानकारियों के आधार पर यह संतोष हो गया है कि अलीराजपुर जिले में विधान सभा निर्वाचन-2018 के दौरान दिनांक 28.11.2018 को मतदान एवं दिनांक 11.12.2018 को मतगणना के दौरान मतदान केन्द्रो/मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर , कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया जावें ।

अत: मैं, **गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला अलीराजपुर** निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली 2 विधान सभा क्षेत्रों में विधान सभा निर्वाचन-2018 के दौरान मतदान दिनांक 28.11.2018 तथा मतगणना दिनांक 11.12.2018 को मतदान केन्द्रों /मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत मोबाईल, सेल्युलर , कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि के उपयोग को प्रतिबंधित करता हूँ ।

उपर्युक्त प्रतिबंध प्रेक्षक, मतदान एवं मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों तथा विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे ।

चूँकि यह आदेश जन साधारण पर लागू है तथा परिस्थितिवंश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य पर उक्त सूचना की तामिली की जा सके । अत: यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अद्धोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अद्धोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबंध से छूट दे सकेगा ।

Scanned by CamScanner

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 25.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(गणेश शंकर मिश्रा)
जिला दण्डाधिकारी
जिला अलीराजपुर(म.प्र.)

पृ.क्रमांक/निर्वाचन/2018/ 4695

अलीराजपुर दिनांक 25.11.2018

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. निर्वाचन सदन 17 अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2-प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग (पुलिस)/सामान्य प्रशासन मंत्रालय भोपाल ।

3-आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर ।

4-पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज इन्दौर ।

5- पुलिस अधीक्षक जिला अलीराजपुर ।

6-उप जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन)अलीराजपुर

7-अनुविभागीय दण्डाधिकारी अलीराजपुर/जोबट/चंदशेखर आजाद नगर/सोण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

8-अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अलीराजपुर/जोबट ।

9-प्र.सहायक संचालक जन सम्पर्क जिला अलीराजपुर ।

10-प्रभारी अधिकारी एनआईसी जिला अलीराजपुर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

11-थाना प्रभारी पुलिस थाना जिला अलीराजपुर ।

जिला दण्डाधिकारी
जिला अलीराजपुर(म.प्र.)

Scanned by CamScanner